राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :निदे/मु.नि.द.यो/सहकारिता/2015/ दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दौसा।

विषयः—स्पष्टीकरण बाबत।

संदर्भः— आपका पत्रांक 11885 दिनांक 09.11.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में सहकारिता/कॉनफेड विभाग के माध्यम से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों के बकाया भुगतान के लिए रूपये 5168258/— का मूल बिल भिजवाया गया है। जबकि पूर्व में आपके पत्र क्रमांक 2015—16/693 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा भिजवायी गयी सूचना में बकाया भुगतान की राशि रूपये 4100000/— बताई गई थी(प्रति संलग्न—परिशिष्ट 'अ')। साथ ही भिजवायें गये मूल बिल में दिनांक 31.03.2015 तक बकाया भुगतान की राशि एवं दिनांक 01.04.2015 के पश्चात बकाया राशि का विवरण पृथक—पृथक नहीं दर्शाया गया है।

अतः आप द्वारा भिजवायी गयी अलग—अलग सूचनाओं के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना निदेशालय को तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवायें। साथ ही इस प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक :निदे/मु.नि.द.यो/सहकारिता/2015/ 1413 दिनांक 14/12/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन— जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना आपके स्तर से भी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. जिला परियोजना समन्वयक, जिला औषधी भंडार गृह, दौसा।
3. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

nomndy @ gmail.com

परिशिष्ट – 3 अ ‘10/C

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

क्रमांक: 2015–16/893

दिनांक 3.08.15

श्रीमान नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0
जयपुर।

विषयः– सहकारिता/कानफेड विभाग के माध्यम से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों (DDCS) के संचालन हेतु मानदेय के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक निदे./मुमनिदयों/विधानसभा/2015/974 दिनांक 30.07.15

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दूवार सूचना निम्नानुसार भिजवाई जा रही है।

1. दिनांक 31.03.2013 को कॉपरेटिव डिपार्टमेन्टल से उक्त दवा वितरण केन्द्रो को विभाग को सुपुर्द करने को कहा गया तो तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा बैठक में जिले में उक्त दवा वितरण केन्द्रो को कॉपरेटिव डिपाटमेन्ट से संचालित करने के निर्देश प्रदान किये गये। अतः तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय के निर्देशों पर ही दिनांक 31.03.2013 के बाद डी.डी.सी. संचालन कॉपरेटिव डिपार्टमेन्ट से हुआ।
2. दिनांक 31.03.2013 तक रू. 275000/– बकाया है।
3. दिनांक 31.03.2013 के बाद रू.3825000/– (29 लाख डीडीसी संचालन व शेष इनकी दूकान, फर्नीचर की कीमत) बकाया है।

(हस्ताक्षर)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
दौसा

ail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.en.bKemCUWfEow.O/m=m_i,t/am=PiMeAsz9e38Q6wy0Sx-osPf-e9wlxc8-D_fNmQCSvQD4v9n... 1/1